राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 882वी बैठक दिनांक 27.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 882वी बैठक दिनांक 27.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P-2/998/24	1(a)	खरगौन	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P-2/1002/24	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जिले से वांछित जानकारी एवं ADS जारी किया जाये
3.	P-2/994/24	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
4.	P-2/973/24	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P-2/974/24	1(a)	मुरैना	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P-2/999/24	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P-2/1000/24	1(a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
8.	P-2/981/24	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	मार्गदर्शन (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P-2/1008/24	1(a)	पन्ना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P-2/992/24	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	11035/2023	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जिले से वांछित जानकारी एवं ADS जारी किया जाये
12.	11111/2023	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

					(DEIAA-EC)	SEAC को अग्रेषित
13.	P-2/14/2024	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	11096/2023	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
15.	11118/2023	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
16.	11115/2023	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
17.	11119/2023	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
18.	11131/2023	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC) अनुशंसित नहीं	निरस्त
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
19.	**11156 /2023**	7(c) & 7 (f)	धार	PM Mitra Park and mega integrated textile region & apparel park	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	**पुनः ADS जारी किया जाये**

1. प्रकरण क्रमांक P2/998/24 श्री राजेश शर्मा, पट्टेदार, निवासी गायत्री नगर जैतापुर खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर, मुरम उत्पादन क्षमता 8820 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 76/1, ग्राम राजपुरा, तहसील गोगावां, जिला खरगोन (म.प्र.) पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

SEAC **द्वारा** 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्रमांक P2/1002/24 श्री अशोक अग्रवाल, ग्राम भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर, पत्थर उत्पादन क्षमता 20370 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 23, ग्राम बंजारी, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.) पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर खरगौन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में कलेक्टर खरगौन से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्रमांक P2/994/24 श्री सुशील जोशी, पट्टेदार, निवासी भोकले कॉलोनी, जिला खरगोन (म.प्र.) 451001 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, पत्थर उत्पादन क्षमता 14,550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 297, ग्राम बलवाड़ी, तहसील एवं जिला खरगोन (म. प्र.) पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 764वी बैठक दिनांक 06.06.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र कमांक 09 दिनांक 03.04.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.04.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **लेक के HFL से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्रमांक P2/973/24 श्री बांके बिहारी सरकार स्टोन क्रेशर एवं श्री दीपक गोयल पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, पार्टनर, निवासी 154, डिफेंस एस्टेट फेज–1, बुंदू कटरा ग्वालियर रोड, आगरा, (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, पत्थर उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 48, ग्राम बिल्हेटी, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

SEAC द्वारा 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्रमांक P2/974/24 श्री करतार सिंह, ग्राम रंचोली बिसेठा, तहसील मुरैना हाल तहसील बामोर, नौराबाद, जिला मुरैना (म.प्र.) 476444 द्वारा द्वारा फ्लैगस्टोन खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 2.30 हेक्टेयर, फ्लैगस्टोन उत्पादन क्षमता 35,00 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 83, ग्राम रछोली, तहसील मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार यह प्रकरण DEIAA पुनः परीक्षण का नहीं है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन भी नवीन पर्यावरण स्वीकृति के लिये किया गया है, किन्तु SEAC द्वारा 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 के कार्यवाही विवरण में प्रकरण को DEIAA पुनः परीक्षण का होना बताया गया है तथा उक्त खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सम्मिलित नहीं है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में DEIAA to SEIAA का प्रकरण है का लेख किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

6. **प्रकरण क्रमांक P2/999/24 दिनेश कुमार पाटीदार, पट्टेदार, निवासी गरोठ, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर, (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेंड़ खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर, पत्थर उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेंड उत्पादन क्षमता 3350 घनमीटर प्रतिवर्ष खसरा क. 394/Min-2 ग्राम नरिया बुजुर्ग, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

SEAC **द्वारा** 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC **को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

7. प्रकरण क्रमांक P2/1000/24 श्री गोपाल अग्रवाल, निवासी ग्राम पानीगांव, तहसील कन्नौद, जिला देवास, (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान एवं विक्रय योग्य ओवरबर्डन (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, पत्थर उत्पादन क्षमता 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं विक्रय योग्य ओवरबर्डन 3292 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.–1058, ग्राम पानीगांव, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2880 दिनांक 30.12.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.12.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **बेयर हाउस से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्रमांक P2/981/24 श्री सीताराम अग्रवाल, पार्टनर, मेसर्स जे. एस. माइनिंग एंड मिनरल्स, निवासी डी.ए.वी. रोड बैढन, पोस्ट बैढन, जिला सिंगरौली, (म.प्र.) 486886 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) पत्थर खदान एवं लीज क्षेत्रफल 2.89 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 44,616 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.–1356, 1357, 1358, 1359, 1360 एवं 1362 (निजी भूमि), ग्राम रमडीहा, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार लेख किया गया है :–

"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि–अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07–05–2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार MoEF&CC द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में DEIAA द्वारा दिनांक 13.09.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किया जाना था, चूँकि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारत सरकार MoEF&CC द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किये जाने का लेख है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्रमांक P2/1008/24 श्री अंजू सिंह, लीज मालिक, निवासी एटोरी हाउस, राज लक्ष्मी होटल के पास, जिला पन्ना, (म.प्र.) 488001 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 1.85 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 995/6, ग्राम ताई, तहसील पवई और जिला पन्ना, (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

SEAC **द्वारा** 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्रमांक P2/992/24, श्री विजय जैन, मालिक, ग्राम कुंडम, तहसील कुंडम, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 2048 घनमीटर प्रतिवर्ष एम.सेण्ड 3073 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 270, 271/2, 272, ग्राम भोनकादेवरी, तहसील कुंडम, जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

SEAC **द्वारा** 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 11035/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक पालीवाल, निवासी– स्टेशन रोड़, वार्ड नं. 05, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24795 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 35/1/2 ग्राम मिरकाबाद, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उत्खनन पट्टा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर द्वारा आदेश दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की लीज स्वीकृत की गई है, DEIAA द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 26.09.2018 को 10 वर्ष के लिये जारी की गई है।

प्राधिकरण की 859 वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में निर्णय लिया गया कि *" कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–अशोकनगर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 445 दिनांक 03/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है जिनको मिलाकर कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है। अत उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला अशोकनगर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"* उक्त निर्णयानुसार कलेक्टर जिला अशोकनगर को पत्र दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से जानकारी चाही गई थी।

उपरोक्त जानकारी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर का प्रस्तुत पत्र क्र. 210 दिनांक 21.05.2024 में पटटेदार की लीज दिनांक 09.06.2023 को समाप्त हो चुकी का उल्लेख किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर का प्रस्तुत पत्र दिनांक 21.05.2024 एवं लीज स्वीकृति आदेश दिनांक 03.10.2018 में विरोधाभाष है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा सहायक खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 21.05.2024 की सत्यता क्या है का परीक्षण कर की गई कार्यवाही एवं प्राधिकरण के पत्र क्र. 1459 दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से चाही गई जानकारी 15 दिवस में प्राधिकरण को प्रेषित की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

12. Case No. 11111 /2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) for production capacity of Stone-10,000 cum per year, in an area 1.00 ha. at Khasra No. 433, at Village KHETPALIYA Tehsil Manasa District Neemuch (M.P.) by Shri BALRAM BANJARA, Lessee, Village - Kundkheda,Tehsil-Manasa,District-Neemuch (M.P).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753–B वीं बैठक दिनांक 18.05.2024 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गई :–

SEAC की 753वीं बैठक दिनांक 18/05/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति ने चर्चा के उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि उपरोक्तानुसार प्रकरण में SEAC द्वारा ADS जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है किन्तु प्रकरण त्रुटिवश प्राधिकरण को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अग्रेषित किया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. P2/14/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शशि द्विवेदी पत्नि श्री अरूण द्विवेदी, निवासी–96, बलवंत नगर, गांधी रोड़ ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 734/9/1, ग्रम अटलपुर, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वीं बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 841 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर शिवपुरी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में ऑनलाईन ADS एवं ई–मेल के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शिवपुरी का प्रस्तुत पत्र दिनांक 10.07.2024 एवं संलग्न शपथ पत्र व दस्तावेजों के अनुसार लेख किया गया है कि खनि पट्टे के बैरियर जोन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूलवश खुदाई कर दी गई जिसे रिस्टोर किया जायेगा एवं भविष्य में इस तरह की भूल नहीं की जायेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनि पट्टे के बैरियर जोन में भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 की कंडिका VIII के बिन्दु I के अनुसार 7.5 मीटर बैरियर जोन में ग्रीन बेल्ट डेव्हवलेप किया जाना अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार की उक्त कंडिका का उल्लघन किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

14. Case No.11096/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method) for production capacity of 35280 cum per year, in an area of 3.65 ha. at Khasra No. 1/2, at Village-Arniyamina, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP) by SHRI AKHILESH SARASWAT, R/o Village- Balaji Mandir Ke Pass, Kityani, District- Mandsaur (MP)-458001. [449298] [DEIAA] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753–B वी बैठक दिनांक 18.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 753–B वी बैठक दिनांक 18.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक प्रकरण में एकल प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः जिला कलेक्टर से अभिप्रमाणित एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जाने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. **भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।**

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VIII. **म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।**

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।**

XII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के पास स्थित सड़क के संबंध में माननीय एनजीटी /सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए में समावेश की जाये।**

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. Case No 11118/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) for production capacity of 50,000 cum per annum, in an area of 4.00 ha. at Khasra No. 988/MIN -1, 1000, at Village Kuchdod, Tehsil Jeeran, District Neemuch (M.P.) by Smt. SANJU BAI TIWARI, Lessee, R/o Village Javi ,Tehsil - Neemuch ,District-Neemuch (M.P) DEIAA

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753–B वी बैठक दिनांक 18.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 753–B वी बैठक दिनांक 18.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जाने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निजी भूमि के संबंध में भू–स्वामी की सहमति एवं ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VIII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

IX. **म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।**

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।**

16. Case No 11115/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) for production capacity of 14421 cum per year, in an area of 0.840 ha. at Khasra No. 136/2, at Village-Rafatpur, Tehsil-Pichhore, District-Gwalior (MP) by Shri Rakesh Kumar Mangal S/o Shri Ramnivash Mangal, Partner, M/s Mahakaleshwar Stone Crusher, R/o Sarmathura, District-Dholpur (RJ)-328021 [447699] [DEIAA]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760 वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 760 वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक प्रकरण में पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ईआईए प्रतिवेदन के साथ पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जाने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IX. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय** (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

17. Case No 11119/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) for production capacity of 6000 cum per year, in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 1/2, at Village-Arniya Mina, TehsilMalhargarh, District-Mandsaur (MP) by Shri Pawan Patidar, Lessee, Yash Nagar, District-Mandsaur (MP)-458001 [449538] [DEIAA] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक प्रकरण में एकल प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः जिला कलेक्टर से अभिप्रमाणित एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जाने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VIII. **म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।**

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।**

18. Case No 11131/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method) for production capacity of 14550 cum per year, in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 101/1, 103/1, 105/1, 107/1, at Village-Lonsara Buzurg, Tehsil-Barwani, District-Barwani (MP) by Shri Onkar Yadav, Lease Owner, R/o 55, Jawahar Marg, Kalka Mata Mandir ke Pass, Ward No. 14, District-Barwani (MP)-451551, [451341] [DEIAA] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गई :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रकरण के परीक्षण मे ं पाया गया कि इसी प्रोजेक्ट को एक अन्य प्रकरण कमांक 11130/23 के द्वारा समिति की पूर्व की 742वीं बैठक दिनांक 26/04/24 को टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है, के कम मे ं इस प्रकरण मे ं अब कोई कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त खदान में प्रकरण कमांक 11130/2023 में श्री ओमकार यादव के नाम पर प्राधिकरण की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024 के निर्णयानुसार ToR दिनांक 03.06.2024 को जारी किया है। अतः प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रकरण को निरस्त किया जाता है, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –

19. Case No 11156 /2023 Shri S.S. Thenua, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for PM Mitra Park in an area of 497.06 ha. MP Industrial Development Corporation (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park at Bhainsola, TehsilBadnawar, District, Dhar, Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गई :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना का स्वीकृति आदेश/पत्र की प्रति परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये।*
2. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अंर्तराज्यीय सीमा की दूरी के संबंध मे लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 20.12.2023 में आवेदन किया गया, परंतु लोक निर्माण विभाग से अंतराज्यीय सीमा की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः लोक निर्माण विभाग से अंतराज्यीय सीमा की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।*
3. *सदस्य सचिव, SEIAA द्वारा बताया गया कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के अनुसार अंतराज्यीय सीमा की दूरी 34 किलोमीटर परिलक्षित है। यद्वपि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतराज्यीय सीमा की दूरी के संबंध में स्वःअभिप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।*
4. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर नेशनल पार्क, अभ्यारण्य एवं वनक्षेत्र की दूरी के संबंध मे वन विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 20.12.2023 में आवेदन किया गया, परंतु वन विभाग से नेशनल पार्क, अभ्यारण्य एवं वनक्षेत्र की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः वन विभाग से नेशनल पार्क, अभ्यारण्य एवं वनक्षेत्र की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।*
5. *परियोजना स्थल के नजदीक माही नदी स्थित है अतः नदी के दोनो ओर बाढ़ क्षेत्र जोन की दूरी के संबंध में जल संसाधन विभाग से अभिप्रमाणीकरण कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।*
6. *इसके साथ ही परियोजना स्थल पर स्थित आमपारा डेम एवं अन्य जलीय निकाय के संरक्षण हेतु किये उपायों तथा वृक्षारोपण की प्रजाति व रोपण तकनीक की विस्तृत जानकारी एवं योजना परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।*
7. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा ToR compliance में SEIAA द्वारा जारी ToR दिनांक 01.04.2024 में बिन्दु कमांक 1 से 10 की शर्तों का ईआईए प्रतिवेदन में किये गये समावेश को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।*
8. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाटर सप्लाई की अनुमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।*
9. *निजी भूमि स्वामियों की सहमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।*

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. प्रस्तावित CETP का री–लोकेशन एवं तकनीक प्लान की विस्तृत जानकारी के साथ परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 10 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी के संबंध में परिवेश पोर्टल पर दिनांक 13.03.2025 को ADS के माध्यम से Reply किया गया किन्तु पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं पाये गये। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 26.03.2025 के माध्यम से सूचित किया गया कि परिवेश पोर्टल पर तकनीकी Issue आने के कारण दस्तावेज अपलोड नहीं हो पाये एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः ADS जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु पुनः परियोजना प्रस्तावक को ADS जारी किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष